झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।
फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स पर कसी जाएगी लगाम – निधि खरे, प्रधान सचिव,स्वास्थ्य विभाग

रांचीः 05 अप्रैल, 2018 को आईपीएच, नामकुम के सभागार में **निधि खर** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने PCPNDT Website (गरिमा झारखण्ड) का उद्घाटन किया। website के संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से सभी अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स पर हो रहे अल्ट्रासाउण्ड की निगरानी की जा सकेगी। अब सभी अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स को प्रत्येक माह दिये जाने वाले फार्म एफ को online भरा जाना ह, जिसका जिला एवं राज्य स्तर पर निरीक्षण किया जा सकेगा। वेबसाइट से आम जनता ऐक्ट संबंधी प्रावधानों एव नियमों की जानकारी मिलेगी तथा वे ऐक्ट के उल्लंघन संबंधी सूचना जिला समुचित प्राधिकारी एवं राज्य समुचित प्राधिकारी को दे पाएँगे यह कदम अधिनियम को और प्रभावी ढ़ग से लागू करने के लिए है।

उन्होंने सभी सिविल सर्जन को अधिनियम को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया । झारखण्ड के गिरते लिंगानुपात को लेकन चिंता जताई तथा कहा कि शिशु लिंगानुपात (0 –6 वर्ष) में भी लगातार गिरावट हो रही है। यह समस्या केवल शहरी क्षेत्र का ही नही अपितु ग्रामीण परिवेश वाले जिलों में भी है।

प्रधान सचिव ने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनका सशक्त जॉच नही हो रहा है ,जिससे पैसे के लालच में इसका दुरूपयाग हो रहा है। उन्होंने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि आप अपने जिलों के सभी अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिकों का लगातार जाँच करें, खानापूर्ति करने का प्रयास ना करें, दोषी पाये जाने पर किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मी को छोड़ा नही जायेगा बल्कि उनको सीधे जेल भेजा जायेगा।

वेबसाइट से आम लोग PCPNDT Act संबंधी कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त कर सकते है। जिला स्तर पर सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उक्त वेबसाइट का संचालन कर सकते है तथा अपने जिलो में अवस्थित अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स के बारे में विस्तत जानकारी प्राप्त कर सकते है, तथा क्लिनिक में किस चिकित्सक द्वारा सेवा दी जा रही है, एक चिकित्सक दो से अधिक क्लिनिक्स में सेवा तो नही दे रहें है, एक चिकित्सक दूसरे जिला में अल्ट्रासाउण्ड कर रहे है क्या?, क्याकि ऐक्ट में प्रावधान है कि एक चिकित्सक अपनी सीमित क्षेत्र में ही अपनी सेवा दे सकते है। PCPNDT website हेतु किए गए सर्वे अनुसार झारखण्ड में कई ऐसे चिकित्सक है जो एक ही समय में एक से ज्यादा क्लिनिक्स में अपनी सेवा दे रहे है या दो से अधिक क्लिनिक्स में अल्ट्रासाउण्ड कर रहे है।

झारखण्ड से संबंधित कुछ तथ्यः—

राज्य भर म वर्ष 2017—2018 म पॉच अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स पर CGM Court में केस दायार किया गया। आठ अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किया गया।

- जन्म के समय लिंगानुपात 930 ⁄ 1000
- शिशु लिंगानुपात 948 ⁄ 1000 (0—6 वर्ष)
- झारखण्ड में कुल पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स — 742

राज्य के अधिक अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स वाले पांच जिलें

जिला का नाम	क्लिनिक्स की संख्या
राँची	195
पूर्वी सिहंभूम	135
धनबाद	71
बेकारो	62
हजारीबाग	30

वेबसाइट के उदघाटन के उपरान्त सभी सिविल सर्जन, जिला डाटा प्रबंधक को वेबसाइट के बारे में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्य में प्लान इंडिया द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।

इस मौक पर श्री कृपा नन्द झा, अभियान निदशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ0 सुंमत मिश्रा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, डॉ0 राजेन्द्र पासवान, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ आइ0ई0सी0 सेल प्रभारी डॉ पुष्पा मरिया बेक, प्लान इंडिया के देबजानी खान, अरशद हुसैन एवं श्री सुमन और अन्य लोग उपस्थित थे।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग